राज्य शिक्षा नीति

(बेसिक और माध्यमिक शिक्षा)

शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

मार्च, 2000

अनन्तिम

केवल शासकीय प्रयोगार्थ

राज्य शिक्षा नीति

(बेसिक और माध्यमिक शिक्षा)

NUEPA DC
D10724

शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

मार्च, 2000

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-10724
Date :
** Documentation Centre **

आलेखन-समूह
(ड्राफ्टिंग ग्रुप)

1. **डॉ. लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय**	:	शिक्षा निदेशक (उर्दू और प्राच्य भाषाएँ),उ.प्र. लखनऊ
2. **डॉ. नजमा अख्तर**	:	निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (**सीमैट**) उ.प्र., इलाहाबाद
3. **सुश्री सहेबा हुसैन**	:	निदेशक, ए.इ.डी., उ.प्र., लखनऊ
4. **श्री अशोक गांगुली**	:	अपर निदेशक, उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना, लखनऊ
5. **श्री श्याम नारायण राय**	:	वरिष्ठ सलाहकार, **सीमैट**, इलाहाबाद
6. **डॉ. इमरान सलीम**	:	विभागाध्यक्ष, शैक्षिक वित्त, **सीमैट**, इलाहाबाद

प्राक्कथन

यह सर्वमान्य है कि शिक्षा, व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमताओं को विकसित कर उसे समाज के एक दक्ष और सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित करती है । वस्तुत: शिक्षा वर्तमान और भविष्य के निर्माण का सशक्त माध्यम है । शिक्षा के सार और भूमिका के आलोक में प्रत्येक राष्ट्र/राज्य अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली/व्यवस्था विकसित करता है । समय-समय पर हुए परिवर्तनों, जनअपेक्षाओं और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रचलित शिक्षा प्रणाली/व्यवस्था में परिमार्जन, परिवर्द्धन, संशोधन और परिवर्तन होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992 तथा तदनुरूप विकसित कार्यनीतियों के तहत उ.प्र. में शिक्षा के सार्वभौमीकरण, उसकी गुणवत्ता तथा अन्य आयामों को अपेक्षित स्तर तक ले जाने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किये गये, उपलब्धियाँ भी सराहनीय रही परन्तु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने से हम फिर भी पिछड़ गये । इनके अतिरिक्त 21वी सदी के बदलते परिवेश तथा शिक्षा से समाज की बढ़ती अपेक्षाओं व दबाव को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उन समस्याओं/बाधाओं/चिन्ताओं/रिक्तियों/अभावों तथा भविष्य की सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक व्यावहारिक तथा फलापेक्षी शिक्षा नीति का निर्धारण तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम उ.प्र. की प्रारम्भिक (बेसिक) और माध्यमिक शिक्षा के स्तरों पर विद्यमान कमियों तथा कठिनाइयों की पहचान हेतु अक्टूबर 1999 में एक कार्यशाला राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान **(सीमैट)** में आयोजित की गयी । इसमें ''उत्तर प्रदेश, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा : निदानात्मक परिदृश्य-1999'' (U.P. Basic and Secondary Education : Diagnostic Scenario – 1999) को तैयार किया गया । इसे 13 अक्टूबर, 1999 को योजना भवन लखनऊ में आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया । इस बैठक में प्रदेशीय शिक्षा व्यवस्था के उत्तरदायी जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये । इन सबके आधार पर "निदानात्मक परिदृश्य" को अन्तिम रूप दिया गया ।

उक्त "निदानात्मक परिदृश्य" के आधार पर प्रदेश के *सात परिक्षेत्रों* में अलग-अलग स्थानों पर कुल सात संगोष्ठियाँ आयोजित की गयी । इस प्रकार निदानात्मक परिदृश्य पर प्रदेशव्यापी चिन्तन-मनन और विचार-विमर्श हुआ । इन संगोष्ठियों में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता प्राप्त की गयी । प्राप्त विचारों और सुझावों के आलोक में राज्य शिक्षा नीति का अनन्तिम आलेख तैयार करने के लिए **सीमैट** में नवम्बर 1999 में एक कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें पारस्परिक विचार-विमर्श के फलस्वरूप राज्य शिक्षा नीति का अनन्तिम आलेख तैयार हुआ ।

इस अनन्तिम आलेख को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान **(नीपा)**, नई दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ दिनांक 12 नवम्बर 1999 को विचार-विमर्श हुआ । अन्य स्रोतों तथा संस्थानों से भी सुझाव प्राप्त हुए । इसके उपरान्त इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट **(आई.आई.एम.)**, लखनऊ में 22-23 जनवरी 2000 की अवधि में एक संगोष्ठी का अयोजन हुआ। इन सभी माध्यमों से प्राप्त विचारों के आधार पर **सीमैट** में अग्रेतर आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं और शासन स्तर पर आयोजित बैठकों के माध्यम से राज्य शिक्षा नीति (बेसिक और माध्यमिक शिक्षा) के अन्तिम आलेख का संशोधन किया गया । दिनांक 15 मार्च 2000 को लखनऊ में आयोजित बैठक में मा0 मंत्री - माध्यमिक शिक्षा तथा मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - बेसिक शिक्षा के समक्ष इस आलेख का पुन: प्रस्तुतीकरण हुआ । मा0 मंत्री द्वय के प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए शिक्षा नीति का यह संशोधित दस्तावेज अन्तिम रूप में प्रस्तुत हो सका है ।

इस दस्तावेज को तैयार करने में हमें प्रत्यक्षत: तथा अप्रत्यक्षत: विभिन्न राज्य/राष्ट्र स्तरीय संस्थानों, संस्थाओं, विभागीय अधिकारियों तथा राष्ट्रीय स्तर के अनेक शिक्षा विशेषज्ञों और विद्वानों से मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है । हम इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं ।

आशा है, इस शिक्षा नीति में व्यक्त संकल्पों के आधार पर हम एक व्यावहारिक और ठोस कार्य नीति के निर्धारण और उसके प्रभावी कार्यान्वयन में सफल होंगे ।

आर. रमणी
प्रमुख सचिव (शिक्षा)
उ.प्र. शासन, लखनऊ

लखनऊ
मार्च, 2000

विषय सूची

भाग	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	7
2	शैक्षिक अवसरों की समानता	15
3	प्रारम्भिक शिक्षा	18
4	माध्यमिक शिक्षा	22
5	शिक्षक	26
6	शिक्षा की गुणवत्ता	28
7	शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन	34
8	संसाधन	37
9	संकल्प	40

भाग-1

प्रस्तावना

शिक्षा की भूमिका तथा प्रयोजन

1.1 सर्वमान्य रूप से शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमताओं का इस प्रकार संवर्द्धन करना है कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके । सर्वांगीण विकास का आशय व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक - सभी पक्षों के सन्तुलित और समन्वित विकास से है । इसी दृष्टि से व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने तथा संवेदनशीलता को प्रखर करने के सशक्त माध्यम के रूप में शिक्षा को अंगीकार किया गया है।

1.2 वस्तुत: शिक्षा एक ओर संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करती है, वहीं दूसरी ओर उनका संवर्द्धन तथा सम्प्रेषण करती है । इसीलिए शिक्षा को व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण तथा विश्व-बन्धुत्व के विकास के अनुपम साधन के रूप में स्वीकार किया गया

1.3 किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि का मूल आधार उस समाज अथवा राष्ट्र की कुशल तथा आस्थावान जनशक्ति है । अतएव शिक्षा का प्रयोजन ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जिसमें वर्तमान तथा भावी चुनौतियों का सामना करने का साहस और आत्मविश्वास हो । उसमें दायित्व-निर्वहन की दक्षता और दृढ़ इच्छा शक्ति हो ।

संदर्भ (Context)

1.4 मानव विकास में शिक्षा के महत्व और अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया तथा मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र 1948 की धारा-26 में व्यक्त किया गया । वर्ष 1989 में बाल अधिकारों पर हुए सम्मेलन और उसके बाद न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में 1990 में आयोजित 'विश्व बाल शिखर सम्मेलन' में शिक्षा को एक मुख्य बुनियादी अधिकार माना गया तथा वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा के

लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया । विश्वस्तरीय सम्मेलनों, घोषणा-पत्रों, आयोगों आदि ने भी इस संकल्पना को पुनर्बलित किया ।

1.5 स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया और संविधान में समाजवाद तथा पंथनिरपेक्षता को प्रतिष्ठित किया । भारतीय संविधान के अनुच्छेद-45 में नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत चौदह वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने के प्रयास का संकल्प व्यक्त किया गया ।

1.6 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992 और तदनुकूल कार्यनीतियाँ निर्धारित की गयीं । इन नीतियों में व्यक्त संकल्पों को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किये गये । उत्तर प्रदेश में भी विशेष रूप से प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विभिन्न आयामों के सुधार, सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन के निमित्त पर्याप्त प्रयास किये गये, उपलब्धियाँ भी उल्लेखनीय रही परन्तु प्रदेश के विस्तार, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति तथा वैविध्यपूर्ण आर्थिक-सामाजिक कारणों से राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रदेश आज भी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में से एक है।

1.7 निश्चित रूप से प्रदेश के इतिहास में आज वह समय है, जो यह सोचने के लिए विवश कर रहा है कि प्रदेश को शैक्षिक दृष्टि से अग्रणी बनाने के लिए अब प्रदेशीय शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था को नयी दृष्टि और दिशा को देने की नितांत आवश्यकता है । वास्तव में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 'एक सघन अभियान' को अविलंब प्रारम्भ करने की जरूरत है ।

1.8 इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने प्रारम्भिक (बेसिक) और माध्यमिक स्तरों की शिक्षा के लिए राज्य शिक्षा नीति के निर्धारण का संकल्प लिया ।

राज्य शिक्षा नीति की आवश्यकता

1.9 प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण हमारा बुनियादी लक्ष्य है । इसको प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार नये स्कूलों को स्थापित करने, छात्रों/छात्राओं के नामांकन और धारण को बढ़ाने और उन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के सक्रिय प्रयास किये गये । एक किलोमीटर के फासले पर प्राथमिक विद्यालय न होने पर शिक्षा गारण्टी योजना के तहत 30 बच्चों के लिए शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था संबंधी नीतिगत निर्णय

लिया जा चुका है । विद्यालयी सुविधा से वंचित बच्चों के लिए 83 जनपदों के 596 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा की योजना चल रही है । इतना सब होते हुए भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रदेश के बहुत से बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लाभ से अब भी वंचित है । इनमें अधिकांशतः निर्बल वर्ग के बच्चे और विशेष रूप से बालिकाएँ, मलिन बस्तियों के बच्चे, बाल श्रमिक, बंजारे और घुमन्तू जातियों के बच्चे हैं । इन सबको शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना राज्य की पहली प्राथमिकता है ।

1.10 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाह्य वित्त पोषित योजनाएँ- प्रदेश के 17 जनपदों में **'बेसिक शिक्षा परियोजना'** और 22 जनपदों में **'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'** के रूप में चल रही हैं तथा 38 और जिलों में 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' का संचालन होने जा रहा है । हमें सुनिश्चित करना होगा कि इन योजनाओं/कार्यक्रमों का पूरा लाभ प्रदेश को मिल सके ।

1.11 ग्रामीण क्षेत्रों में 800 की आबादी और कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का मानक है । इस मानक के अनुसार संप्रति प्रदेश में लगभग 2300 अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता है । इस समय उच्च प्राथमिक कक्षाओं में लगभग 60 प्रतिशत बच्चे ही प्रवेश ले रहे है । सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराना हमारे लिए एक चुनौती है ।

1.12 आज भी प्रदेश के 541 विकास खण्डों में बालिकाओं के लिए केवल एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है । इनके लिए उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक विद्यालयों की सुलभता सुनिश्चित करनी ही होगी ।

1.13 प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद प्रारम्भिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों पर छात्र/छात्राओं की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है किन्तु उस अनुपात में विद्यालयों और अध्यापकों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि काफी कम हुई है । इससे छात्र और अध्यापक अनुपात तथा अन्य आवश्यक शैक्षिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । प्राथमिक स्तर पर इस अनुपात को मानक के अनुसार बनाये रखने के लिए 'शिक्षा-मित्र' योजना एक विकल्प है । शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक संसाधनों की वृद्धि, विकास और महत्तम उपयोग को सुनिश्चित करना आज प्रदेश की महती आवश्यकता है ।

1.14 प्रारम्भिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों पर विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक संसाधनों का अभाव है । उनमें शिक्षण-अधिगम तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों का स्तर भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । सह शैक्षिक कार्यकलापों में बच्चों की सामूहिक

सहभागिता, विभिन्न खेलकूद की गतिविधियाँ, श्रव्य-दृश्य सामग्री और शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग के लिए हमें कारगर उपाय करने होंगे ।

1.15 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों तथा मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन किये गये । 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम वर्ष 1998 से लागू किया जा चुका है, फिर भी प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय परिवेश को सम्मिलित करने, कक्षा 1-12 तक के पाठ्यक्रम में सततता लाने, पाठ्यपुस्तकों की सुलभता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, मूल्यों की शिक्षा, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, समाजोपयोगी कार्य का प्रभावी संचालन करने, सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करने, परीक्षाओं में विश्वसनीयता और वैधता लाने आदि अकादमिक क्षेत्रों में हमें अभी बहुत कुछ करना है ।

1.16 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी अपेक्षा की गई थी कि व्यावसायिक शिक्षा अपने आप में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों के चुने हुए काम-धंधों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा । यह भी प्रस्तावित था कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का दस प्रतिशत 1990 तक और 25 प्रतिशत 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आ जाय । उत्तर प्रदेश में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने से काफी पीछे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश में संचालित व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ ही तदनुकूल क्रियान्वयन की ठोस रणनीति बनानी होगी ।

1.17 प्रदेश के कुल बजट का 13.93 प्रतिशत प्रारंभिक (बेसिक) और माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हो रहा है जो इस समय बढ़ती शैक्षिक आवश्यकताओं की तुलना में काफी कम है । इसका लगभग 95 प्रतिशत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन पर तथा केवल लगभग 5 प्रतिशत ही शिक्षा के विकासात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध हो पाता है। इससे शैक्षिक विकास अवरुद्ध हो रहा है । अतएव हमें संसाधन विकास के वैकल्पिक स्रोतों को उपलब्ध कराने, ठोस वित्तीय नियोजन करने तथा प्रभावी वित्तीय संसाधन, प्रबंधन और नियंत्रण की ओर तुरन्त ध्यान देना होगा ।

1.18 पंचायती राज व्यवस्था के अधीन बेसिक शिक्षा के प्रबन्धन और नियंत्रण का दायित्व ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सौंपा जा चुका है । प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में यह विकेन्द्रीकृत प्रणाली भलीभाँति कारगर हो, इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे ।

1.19 यद्यपि विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ निर्धारित हैं परन्तु बदलते हुए परिवेश और आवश्यकता को देखते हुए इनके पुनर्निर्धारण की जरूरत है ।

1.20 प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तरों पर यद्यपि अध्यापकों के चयन, नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिए आवश्यक अधिनियम/विनियम और प्रावधान उपलब्ध हैं परन्तु यह देखा जा रहा है कि अधिकारियों/अध्यापकों के पद कभी-कभी लम्बे समय तक रिक्त रहते है जिससे व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं । इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

1.21 यह भी अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालयों के प्रभावी निरीक्षण/पर्यवेक्षण के निर्देशों के बावजूद भी इस दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इस व्यवस्था की गहराई से समीक्षा करने की नितांत आवश्यकता है ।

1.22 मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धन और नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था विद्यमान है । इससे विभिन्न विषमताएँ/विकृतियाँ प्रकाश में आ रही हैं । इस व्यवस्था के पुनरवलोकन तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

1.23 शिक्षा और उसके प्रबन्धन में गुणवत्ता लाने के लिए प्रदेश के 65 जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तथा राज्य स्तर पर शीर्ष शोध, प्रबन्धन और प्रशिक्षण संस्थानों, जैसे - राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है । इन संस्थानों का अपेक्षित विस्तार/सुदृढ़ीकरण करने तथा इन्हें स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है ।

1.24 सभी प्रकार के अभिकर्मियों में दक्षता, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास हेतु 'राज्य प्रशिक्षण नीति' स्वीकृत हो चुकी है । सभी शैक्षिक अभिकर्मियों के प्रवेश पूर्व (इन्डक्शन)/सेवारत प्रशिक्षणों की सुनियोजित व्यवस्था को सुनिश्चित करने में अब विलम्ब नहीं किया जा सकता ।

1.25 संप्रति कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का नियमन, नियोजन, नियंत्रण और प्रबंधन बेसिक शिक्षा निदेशालय के अधीन है जबकि कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा व्यवहृत होती है। इस व्यवस्था में प्रबंधन और समन्वयन संबंधी विसंगतियाँ और कठिनाइयाँ प्रकाश में आती हैं । इनके निराकरण के लिए एकीकृत विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के लिए इन निदेशालयों में बेहतर तालमेल स्थापित करना भी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है ।

परिदृष्टि

1.26 शिक्षा को सामान्य जन से जोड़ने, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के उत्तरदायित्व का अहसास कराने तथा संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को अंजाम देने के लिए शिक्षा में समाज की साझेदारी को बढ़ाना ही होगा । आगामी वर्षो में शिक्षा की व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रबंधन में 'विकेन्द्रीकरण' की आवश्यकता बढ़ती जाएगी । इसके तहत पूरी व्यवस्था को नये रूप में ढालना होगा ।

1.27 शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सूचना तकनीकी आज किसी विकासशील/विकसित समाज के अभिन्न अंग बन चुके हैं । आगामी वर्षों में इनके अभाव में कोई भी राष्ट्र/समाज अपनी अस्मिता को स्थिर रखने में समर्थ नहीं होगा । हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जन-जन को इन सेवाओं को उपलब्ध करायें और सभी को इन विधाओं में कुशल बनायें ।

1.28 वर्तमान में अधिसंख्य शिक्षित युवक/युवतियाँ रोजगार की तलाश में रहते हैं । आगामी वर्षो में रोजगार पाने की समस्या और बढ़ेगी । ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें युवा वर्ग को 'कुशल जनशक्ति' के रूप में विकसित करने के लिए सुनियोजित प्रयास करने होंगे। हमें विद्यार्थियों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना जगाते हुए उनमें 'उद्यमिता' को विकसित करना होगा जिससे वे स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो सकें तथा रोजगार माँगने के बजाय स्वयं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता रख सकें ।

1.29 ऐसा देखा जा रहा है कि भौतिक विकास तीव्रगति से हो रहा है और आगामी वर्षो में इसकी गति और बढ़ेगी । इससे मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं के विकास का पक्ष उपेक्षित रह गया है । अत: शिक्षा के माध्यम से समन्वित व्यक्तित्व विकास के मूल्यों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा ।

1.30 समग्र रूप से एक ओर हमें 6-14 वय वर्ग के बच्चों को सार्वभौम अनिवार्य, नि:शुल्क और गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करानी होगी तो दूसरी ओर विज्ञान/तकनीकी/व्यावसायिक तथा कौशलात्मक माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार देनी होगी कि प्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें ।

उद्देश्य

1.31 उपर्युक्त के आधार पर राज्य शिक्षा नीति का पहला उद्देश्य यह होगा कि जनसामान्य में अधिकार के रूप में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की माँग उत्पन्न हो जाय जिससे शिक्षा को सार्वभौम आधारिक सेवा के रूप में स्वीकार किया जा सके ।

1.32 यह सुनिश्चित करना होगा कि जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ढाँचागत सुविधाओं की उपलब्धता, सार्वभौम नामांकन, धारण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की सर्वसुलभता, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता, प्रबंध तंत्र की सक्रियता और संसाधनों के महत्तम उपयोग में कोई व्यवधान न हो ।

आधारभूत रणनीति

1.33 पूर्वोल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी, यथा -

- शैक्षिक अवसरों की समानता - विभिन्न वर्गों और छात्रों में विद्यमान शैक्षिक विषमताओं के निराकरण के लिए बालिका शिक्षा, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग तथा क्षेत्रों, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान ।

- प्रारम्भिक शिक्षा की सर्वसुलभता - शिशु शिक्षा, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान, संस्कृत विद्यालय और मकतब/मदरसे के आधारिक ढाँचे का पुनरवलोकन तथा तदनुसार सुदृढ़ीकरण ।

- माध्यमिक शिक्षा का विस्तार/प्रसार तथा आधुनिकीकरण - दूर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान व कम्प्यूटर शिक्षा, प्रबंधन/प्रशासन संबंधी आधारभूत संरचना का पुनरवलोकन तथा उसे अपेक्षित स्वरूप प्रदान करना ।

- शिक्षक की गरिमा का संवर्द्धन - शिक्षकों की सेवाशर्तों और कार्य परिस्थितियों का पुनरवलोकन, पुरस्कार और प्रोत्साहन तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में उनकी भूमिका को महत्व देना ।

- शिक्षा की गुणवत्ता का सुनिश्चयन - सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों की शिक्षा, पाठ्यक्रम, पुस्तकें और पुस्तकालय, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा सुधार, संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, नवाचार, शोध तथा विकास, कार्यानुभव और समाजोपयोगी कार्य, शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा प्रक्रिया और व्यवस्था को नया मोड़ देना ।

- शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण - व्यवस्था को लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी बनाना, विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक साझेदारी को बढ़ाना ।

- संसाधनों की उपलब्धता - शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसके स्वरूप और आयाम के अनुरूप पूँजी निवेश हेतु साधन जुटाने के विविध प्रयास करना ।

1.34 स्वैच्छिक संस्थाओं, समुदाय, अभिावकों तथा शिक्षार्थियों की भूमिका अब निरन्तर और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, अतएव शिक्षा के प्रति समाज को और अधिक सुग्राही बनाने की आवश्यकता को देखते हुए समाज के साथ साझेदारी को महत्व देना होगा ।

1.35 विवेकपूर्ण नियोजन, समय पर उत्तरदायित्व के साथ कार्य निष्पादन, सतत अनुश्रवण तथा गहन मूल्यांकन द्वारा इस नीति पर समग्रता के साथ प्रभावी ढंग से अमल करना होगा।

1.36 इस नीति के कार्यान्वयन को एक सतत तथा विकासशील प्रक्रिया के रूप में देखना होगा जिसकी समीक्षा पाँच वर्षों के समयान्तराल पर करनी होगी । इस निश्चित कालावधि आकलन का उद्देश्य प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक सशक्त बनाना तथा निरन्तर परिवर्तनशील सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकी तथा तकनीकी संस्थितियों से उत्पन्न नई शैक्षिक चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा ।

प्रत्याशा

1.37 समग्र रूप से शिक्षा का प्रमुख दायित्व समाजोपयोगी, दक्ष (Competent), आत्मविश्वासी (Confident), तथा प्रतिबद्ध (Committed), नागरिकों का निर्माण करना है । यह विश्वास है कि राज्य शिक्षा नीति के निष्ठापूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा ऐसे नागरिकों के निर्माण में हम अवश्य सफल होंगे ।

<u>भाग-2</u>

शैक्षिक अवसरों की समानता

शैक्षिक विषमताएँ

2.1 विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में विद्यमान शैक्षिक विषमताओं के पुनरवलोकन पर विशेष बल दिया जाएगा और समाज के सभी सुविधावंचित बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रभावी औपचारिक, अनौपचारिक अथवा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

बालिका शिक्षा

2.2 बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, उनके शत प्रतिशत नामांकन, धारण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट योजनाएँ/कार्यक्रम चलाए जायेंगे तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु ठोस कार्यनीतियाँ निर्धारित की जायेंगी ।

2.3 समाज में महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए बालक-बालिका के भेद-भाव को समाप्त करने की नीति पर अमल किया जाएगा । इसके लिए वतमानि पाठ्यक्रमों तथा पठन-पाठन सामग्री का पुनरवलोकन किया जायेगा तथा अपेक्षित परिवर्तन/संशोधन किये जायेंगे । लिंग भेद के निराकरण तथा बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकास हेतु अध्यापकों तथा शैक्षिक आयोजकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सामाजिक जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों की शिक्षा

2.4 अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बालक-बालिकाओं के शैक्षिक विकास पर विशेष बल दिया जायगा । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए जायेंगे, यथा-

- इन परिवारों को विशेष प्रोत्साहन ताकि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक नियमित रूप से विद्यालय भेजें ।

- इन वर्गो/परिवारों के बच्चों की मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं का पुनरवलोकन तथा प्रभावी कियान्वयन ।

- इनके नामांकन, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने तथा पढ़ाई की प्रकिया में गिरावट को रोकने के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था ।

- इन वर्गो के बच्चों को जिला केन्द्रों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने, स्कूल भवनों, बालबाड़ियों, साक्षरता केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के चुनने पर विशेष ध्यान ।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग तथा क्षेत्र

2.5 शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य सभी वर्गो को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, शहर की मलिन वस्तियों, बंजारों, घुमन्तू जातियों, पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों में रहने वाले परिवारों के बालक-बालिकों की मौजूदा शैक्षिक सुविधाओं/संसाधनों की गहन समीक्षा की जायेगी तथा उन्हें समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

2.6 बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए किए गए अब तक के प्रयासों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने की ठोस कार्यनीति का निर्धारण तथा उसका सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ।

अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा

2.7 अल्प-संख्यक वर्ग के बच्चों के नामांकन और धारण की वर्तमान स्थिति के राज्यव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर आकलन कर इनको शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

2.8 संविधान में अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन के अधिकार दिए गए है । इसी अनुकम में उनके द्वारा अपनी शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और संचालित करने का भी प्रावधान है । इनके द्वारा स्थापित तथा संचालित

शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने तथा सभी विद्यालयी कार्यक्रमों में वस्तुनिष्ठता स्थापित करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जायेंगे ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा

2.9 शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अल्प विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी । इसके लिए 'विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा' योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2.10 गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास सहित विशेष विद्यालयों (Special Schools) को कम से कम जिला मुख्यालयों पर खोला जायेगा तथा इनमें प्रमुखत: व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी ।

2.11 शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को भली भाँति समझने तथा उनकी सहायता करने के अंश शामिल किये जायेंगे ।

2.12 विकलांग बच्चों तथा उपर्युक्त सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों की समीक्षा की जायेगी तथा स्वैच्छिक संगठनों को इन वर्गों की शिक्षा में सक्रिय योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

भाग-3

प्रारम्भिक शिक्षा

शिशु शिक्षा

3.1 यद्यपि केंद्र अथवा बाह्य सहायता से चली या चल रही विभिन्न योजनाओं के अधीन शिशुओं की देखभाल और उनकी शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम/परियोजनाएँ ली गयीं तथापि अब तक प्रदेश में शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के संबंध में कोई समुचित समेकित व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार शिशु शिक्षा के एक सुविचारित कार्यक्रम के निर्धारण का सक्रिय प्रयास किया जाएगा ।

3.2 इस कार्यक्रम के अधीन शिशु-देखभाल और शिक्षा केन्द्र स्थापित करने पर बल दिया जाएगा । इन केन्द्रों की गतिविधियाँ 'शिशु शिक्षा' के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित करते हुए इनसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा समेकित बाल विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जोड़ने के प्रयास किए जायेंगे ।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा

3.3 संवैधानिक प्रतिबद्वता के अनुरूप शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा -

(क) 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों का नामांकन

(ख) उक्त बच्चों का विद्यालय में बने रहना

(ग) सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना ।

3.4 उपर्युक्त लक्ष्यों की संप्राप्ति के लिए सभी को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मुहैय्या कराने के निमित्त वर्तमान निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश के उन स्थलों को सर्वेक्षण के माध्यम से चिह्नित किया जायेगा जहाँ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना आवश्यक है । सर्वेक्षण में संचालित विद्यालयों के कार्यकलापों की भी समीक्षा की जाएगी ।

3.5 क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के निमित्त ग्रामीण और दुर्गम स्थलों पर अवश्यकतानुसार वरीयता के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की जायगी ।

3.6 चिह्नित स्थलों पर विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धित जिला और राज्य सेक्टर की यंजनाओं के माध्यम से की जाएगी, साथ ही अशासकीय विद्यालयों की स्थापना हेतु शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायगा ।

3.7 परेषदीय, राजकीय और अशासकीय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्थापित किए जाने हेतु उच्च प्रथमिक बालिका विद्यालयों को वरीयता दी जाएगी ।

3.8 अशासकीय मान्यताप्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों के विद्यालयों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रबन्धाधिकरणों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पर्याप्त अधिकार दिए जायेंगे । इस निमित्त उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद के अधिनियमों/नियमों में आवश्यक संशोधन किए जायेंगे ।

3.9 विद्यालयों में न्यूनतम भौतिक सुविधाएँ - जल, विद्युत, शौचालय आदि सुलभ कराने संबंधी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ।

3.10 विद्यालयों को सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की व्यवहारपरक योजना निर्मित की जायगी ।

3.11 प्रारम्भिक स्तर पर शत-प्रतिशत छात्र नामांकन के लिए वातावरण सृजन में संचार माध्यमों तथा अन्य तरीकों, यथा - महिला प्रेरक समूह, कला जत्था, नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा प्रयास किए जायेंगे ।

3.12 प्रत्येक विद्यालय में खेलकूद, व्यायाम और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कराए जाने हेतु राज्य विद्यालयीय क्रीड़ा संस्थान द्वारा प्रति विद्यालय न्यूनतम एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जायगा । इसके लिए इसे और जीवन्त तथा क्रियाशील बनाया जाएगा ।

3.13 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर संचालित विभिन्न स्तरीय खेलकूद, बालचर, रेडक्रास और सेंट जान्स अम्बुलेंस आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ।

वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था

3.14 बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के आलोक में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को आगामी पाँच वर्षों में प्राप्त करने के लिए तथा विशेषकर अपवंचित वर्गों और क्षेत्रों के बालक-बालिकाओं, बाल श्रमिकों, बंजारों और घुमन्तू वर्गों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में संचालित वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न उपागमों तथा प्रतिमानों की समीक्षा कर इन्हें व्यावहारिक तथा गतिशील बनाया जाएगा ।

अनौपचारिक शिक्षा

3.15 अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम जो संप्रति प्रदेश के 596 विकास खण्डों में संचालित है, को सभी 83 जनपदों के 904 विकास खण्डों एवं समस्त क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में चलाने की व्यवस्था की जायगी ।

3.16 निर्धारित/स्वीकृत मानकों के अनुसार इन केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समितियों तथा नगर शिक्षा समितियों का रहेगा ।

3.17 अनुदेशकों के चयन में महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी तथा इसमें भी अपवंचित वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

3.18 इन केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों के लिए मानदेय, बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री और केन्द्र पर होने वाले व्यय को अनुदान के रूप में ग्राम पंचायत समिति/नगर पंचायत समिति के माध्यम से केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

3.19 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन का दायित्व त्रिस्तरीय व्यवस्था के अधीन क्रमानुसार जनपद, क्षेत्र, ग्राम के स्तरों पर गठित साक्षरता समितियों को सौंपते हुए इन्हें सक्रिय किया जाएगा ।

3.20 साक्षरता अभियान में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।

3.21 साक्षरता अभियान की प्रारम्भिक गतिविधियों-वातावरण सृजन, सर्वेक्षण कार्यक्रम आदि में ग्राम पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी तथा साक्षरता अभियान के उपरान्त नवसाक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम से उन क्षेत्रों को आच्छादित किया जाएगा। इनके संचालन का दायित्व, ग्राम स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड्स का चयन, सतत शिक्षा केन्द्र और नोडल सतत शिक्षा केन्द्रों का चयन ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा जायेगा ।

संस्कृत विद्यालय और मकतब/मदरसे

3.22 संस्कृत विद्यालयों और मकतब, मदरसों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे । इसके लिए उनके मूल उद्देश्य और स्वरूप को बरकरार रखते हुए उनके पाठ्यक्रमों में इन वर्गों के बुद्धजीवियों के सहयोग और सहमति के आधार पर संशोधन/परिवर्तन तथा नये/आधुनिक विषयों का समावेश किया जायेगा, साथ ही इन विद्यालयों के अध्यापकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

भाग-4

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की सुविधा का विस्तार/सुदृढ़ीकरण

4.1 प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग आठ है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है । अत: माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और प्रसार हेतु निजी संस्थाओं को विद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.2 बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी । प्रदेश के असेवित विकास खण्डों जहाँ पर बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कन्या विद्यालय निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा खोले गये हैं, उन्हें सुदृढ़ करने के निमित्त निजी प्रबंधतंत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसे विद्यालयों में क्रियाकलापों की समीक्षा की जायेगी ।

4.3 माध्यमिक शिक्षा में बढ़ती हुई छात्र संख्या तथा प्रवेश के दबाव को देखते हुए सुनियोजित ढंग से द्विपाली योजना का विस्तार किया जायेगा। यह योजना राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ निजी प्रबन्धतंत्र के सहयोग से अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में भी लागू की जायेगी ।

4.4 प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ किया जायेगा और भवनहीन राजकीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जायेगा ।

4.5 माध्यमिक स्तर पर गणित तथा विज्ञान के पाठ्यक्रमों में दक्षताओं के संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जायेगा । संप्रति हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय को अनिवार्य किया गया है। गणित विषय की शिक्षा को भी अनिवार्य किया जायेगा ।

4.6 विद्यालयों में कक्षा-12 तक स्काउटिंग/गाइडिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किया जायेगा ।

मूल्यपरक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा और इसे विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी ।

4.7 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम भौतिक सुविधाएँ - जल, विद्युत, शौचालय आदि सुलभ कराने की व्यावहारिक कार्यनीति को अमल में लाया जाएगा । इसके अन्तर्गत विकास शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग कर विद्यालयों के लिए काष्ठोपकरण, पेयजल, शौचालय, भवन के रखरखाव तथा शिक्षण के प्रयोग में आने वाली सामग्रियों की व्यवस्था की जायेगी।

दूर शिक्षा

4.8 माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में संचालित पत्राचार शिक्षा संस्थान के क्रियाकलापों का पुनरवलोकन किया जायेगा और दूर शिक्षा व्यवस्था से अधिक से अधिक शिक्षार्थियों को लाभान्वित करने के लिए ठोस प्रयास किये जायेंगे ।

4.9 राज्य में दूर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए "नेशनल ओपेन स्कूल" की भाँति "राज्य मुक्त विद्यालय" स्थापित किया जायेगा ।

व्यावसायिक शिक्षा

4.10 विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाए जाने तथा उन्हें स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने हेतु सुनियोजित ढंग से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जायेगा । इस व्यवस्था से जहाँ एक ओर कुशल कर्मचारियों की माँग की पूर्ति होगी, वहीं दूसरी ओर ऐसे विद्यार्थियों को वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो अपनी क्षमता/रुचि के अनुसार किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अपने को सम्मिलित करना चाहते हैं ।

4.11 व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों (Trades) के पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जायेगा तथा पाठ्यक्रमों में लचीलापन रखा जायेगा । शिक्षा की इस विशिष्ट धारा में विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए 8वीं कक्षा के बाद पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भी लागू की जायेगी ।

4.12 व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक जनपद में एक बालिका तथा एक बालक

माध्यमिक विद्यालय को गतिनिर्धारक विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार ये विद्यालय जनपद के अन्य विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सन्दर्भ केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) के रूप में कार्य करेंगे ।

4.13 व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन व दिशा-निर्देशन और इससे जुड़े व्यक्तियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक सन्दर्भ केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) स्थापित किया जायेगा ।

4.14 व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं प्रबन्ध संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनकी आवश्यकतानुसार विद्यालयों में उपयुक्त ट्रेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । इस संबंध में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा विद्यार्थियों को ''आन द जॉब'' प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी और उन्हें ट्रेड विशेष का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जायेगा । इसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों व संगठनों से सहयोग लिया जायेगा ।

4.15 व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर एक 'अकादमिक कोर ग्रुप' का गठन किया जायेगा जिसमें अन्य विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलित किया जायेगा । इसके लिए शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाएगा ।

विज्ञान व कम्प्यूटर शिक्षा

4.16 विज्ञान शिक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए इसके सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयोगशालाओं के रख-रखाव और नवीन प्रयोगशालाओं के निर्माण के निमित्त अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में प्रत्येक जनपद अपनी योजना बनाएगा ।

4.17 कम्प्यूटर शिक्षा की महत्ता को देखते हुए इसे सूचना तकनीकी (इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी) के साथ जोड़ा जायेगा और आगामी दस वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था को सुलभ कराया जायेगा । इण्टरमीडिएट की भाँति कम्प्यूटर विज्ञान विषय को हाईस्कूल स्तर पर भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा ।

प्रबन्धन, रिक्तियाँ तथा निरीक्षण

4.18 अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धन और नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था विद्यमान है । इन विद्यालयों में नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्धतंत्र है, जबकि इनमें कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी के वेतन आदि के भुगतान हेतु जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस प्रकार इससे विभिन्न विषमताएँ प्रकाश में आ रही हैं । इन विषमताओं को दूर करने के लिए अधिनियमों में सुसंगत संशोधन किये जायेंगे ।

4.19 जनपद स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं प्रबन्धन में सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता हैं । चूँकि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में तहसील अथवा विकास खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण/नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक जनपद में जिला विद्यालय सह निरीक्षक के विद्यमान पदों का समायोजन करते हुए प्रत्येक जनपद में कम से कम जिला विद्यालय सह निरीक्षक का एक पद उपलब्ध कराया जाएगा । विद्यालय प्रबन्धन के लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों की समीक्षा तथा अन्य आयामों और संबंधों के परिप्रेक्ष्य में संशोधन तथा सरलीकरण किया जायेगा । इसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में प्रावधानित प्रशासन योजना और इसके अधीन गठित प्रबन्ध समिति की व्यवस्था की समीक्षा कर यथावश्यक संशोधन किया जाएगा ।

4.20 सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के अधियाचन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे जाते हैं । माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बार-बार बदलते स्वरूप और अधियाचन भेजने की विसंगति के कारण रिक्त पदों पर समयान्तर्गत चयन संबंधी कार्यवाही नहीं हो पा रही है । बोर्ड द्वारा चयन किए जाने की व्यवस्था में इस प्रकार संशोधन किया जायेगा कि चयनित अभ्यर्थी पद रिक्त होने के दिनांक से विद्यालय में उपलब्ध हो सकें ।

4.21 माध्यमिक विद्यालयों की नामिका निरीक्षण व्यवस्था में परिवर्तन किया जायेगा । इसके अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्ष में एक बार नामिका निरीक्षण किए जाने और नामिका निरीक्षकों की संख्या कम करते हुए उन्हें समुचित मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया जायेगा । नामिका निरीक्षण के साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण पर भी बल दिया जायेगा ।

भाग-5

शिक्षक

5.1 किसी भी समाज के सांस्कृतिक-सामाजिक उत्कर्ष में अध्यापकों की भूमिका तथा महत्व को सदैव स्वीकार किया गया है । अध्यापकों की गरिमा को बढ़ाने के लिए उनकी सेवा शर्तों और कार्य-परिस्थितियों का पुनरवलोकन किया जाएगा ।

5.2 प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्तरीय सेवापूर्व प्रशिक्षणों में अभ्यर्थियों के चयन की वर्तमान प्रकिया, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का पुनरीक्षण कर उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा ।

5.3 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन/पदोन्नति के माध्यम से अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति समय से सुनिश्चित की जायेगी । इसके लिए अध्यापकों की वरिष्ठता सूची सही बनाने, चरित्र पंजिका व्यवस्थित करने तथा सेवा-पुस्तिका पूर्ण किये जाने के कार्य को सुनिश्चित किया जायेगा ।

5.4 विद्यालय तथा विशिष्ट संस्थाओं/संस्थानों में विषय विशेष के अध्यापकों के पद रिक्त होने पर आवश्यकतानुसार उन विषय विशेष के शिक्षकों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5.5 शिक्षकों की सेवा-शर्तों से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने तथा सेवानिवृत्ति-लाभों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था अपनायी जायेगी । इसके लिए जनपद स्तर पर प्रत्येक वर्ष अभियान चलाया जाएगा ।

5.6 शैक्षिक गुणवत्ता में "टीचर्स सपोर्ट सिस्टम" की महत्वपूर्ण भूमिका है । अतः इसकी आधारिक संरचना को विकसित/सुदृढ़ किया जायेगा जिससे शिक्षकों को समय-समय पर शिक्षण अधिगम क्रियाओं में सहायता प्राप्त हो सके ।

5.7 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा-शर्तों के संबंध में वर्तमान प्रावधानों का परीक्षण कर उनकी विसंगतियों को दूर किया जायेगा जिससे अनावश्यक विवाद न बढ़े। निजी प्रबन्धतंत्रों और शिक्षा विभाग के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा । इस हेतु संबंधित अधिनियमों/नियमों में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे ।

5.8 शिक्षण-अधिगम व्यवस्था की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जायेगा । इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक अकादमिक कोर ग्रुप का गठन किया जाना, जनपद स्तर पर शिक्षकों के साथ संवादशीलता में वृद्धि तथा विद्यालय स्तर पर प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार पाठ्य-सहगामी क्रियाकलापों में सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।

5.9 अध्यापकों को उनकी योग्यता और क्षमता के संवर्द्धनार्थ अग्रेतर अध्ययन हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुसंगत प्रावधान किए जायेंगे ।

5.10 शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने हेतु अच्छे कार्य के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार और कार्य निष्पादन में निष्क्रियता के निवारणार्थ सुधारात्मक उपाय करने की विशिष्ट योजना बनायी जायेगी । इसके अन्तर्गत शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रपत्र का पुन: निर्धारण कर नियमित प्रविष्टि की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष मंडल स्तर पर तीन शिक्षकों को दक्षता पुरस्कार व प्रशस्ति प्रमाण-पत्र दिए जाने की योजना लागू की जाएगी ।

5.11 शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, सेमेस्टरवार/पाक्षिक पाठ्यक्रमों का विभाजन तथा विद्यालय निरीक्षण की व्यवस्था को पुनरीक्षित कर प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5.12 जवाबदेही के लिए मानक तय किए जायेंगे जिससे शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इसके अन्तर्गत शिक्षकों के लिए एक व्यावहारिक आचार-संहिता बनायी जायेगी और उनकी उपलब्धियों को कार्य-निष्पादन (परफार्मेन्स) के साथ जोड़ा जायेगा।

भाग-6

शिक्षा की गुणवत्ता

6.1 'गुणवत्ता' शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अतएव शिक्षा नीति के सभी पक्षों में इसका समावेश आवश्यक है । वस्तुत: शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा शिक्षा के लक्ष्यों से ही प्राप्त होती है । इस दृष्टि से शैक्षिक प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण घटकों-पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगम, नवाचार तथा शैक्षिक शोध और विकास आदि सभी के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा ।

सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों की शिक्षा

6.2 इस बात पर विशेष बल दिया जाएगा कि भावी नागरिक भारतीय संस्कृति और अस्मिता को पहचानें, समझें और उसमें निहित मूल भावना को आत्मसात करें । परिवर्तनपरक द्रुतगति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी तथा तकनीकीजन्य आधुनिकीकरण और देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा में एक न्यायोचित समन्वय स्थापित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जायेंगे ।

6.3 आज यह सामान्य रूप से अनुभव किया जा रहा है कि जीवन के लिए आवश्यक शाश्वत मूल्यों का ह्रास हो रहा है । ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तरों की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का गंभीरता से परीक्षण कर उसकी समीक्षा की जाएगी । इसके लिए बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास की कारगर योजना बनायी जायेगी तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा जिससे धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अन्त हो सके, उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा शिक्षा के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके ।

पाठ्यक्रम

6.4 प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के

पाठ्यक्रमों में सातत्य (Continuity) स्थापित किया जायेगा । इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की एक कोर कमिटी का गठन किया जाएगा ।

6.5 पाठ्यक्रम निर्माण की प्रकिया में शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों तथा अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।

6.6 विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों को दक्षता आधारित बनाते हुए इसमें बदलते हुए परिवेश की आवश्यकताओं तथा क्षेत्रगत विशेषताओं का समावेश किया जायेगा ।

6.7 विद्यालयी पाठ्यक्रम, विशेष रूप से कक्षा 1-10 में सामान्य केन्द्रिक तत्वों - भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित मूल्य, यथा - हमारी सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, स्त्री-पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण-संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व तथा जनसंख्या शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को शामिल करने पर बल दिया जाएगा । ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में आवश्यकतानुसार पिरोए जायेंगे ।

6.8 प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव और माध्यमिक कक्षाओं में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाएगा । खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में योग-शिक्षा को स्थान दिया जाएगा ।

6.9 प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर गणित तथा विज्ञान के पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से तथा समान्य रूप से सभी विषयों में भी दक्षताओं के संवर्द्धन पर बल दिया जायेगा। पाठयक्रम का निर्माण अपेक्षित अधिगम स्तर के अुनसार किया जायेगा ।

6.10 अन्य राज्यों/शिक्षा बोर्डो के पाठ्यक्रमों से तुलनीयता (Comparability) तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों से अनुकम (Sequence) को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

पुस्तकें और पुस्तकालय

6.11 प्रारम्भिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर बच्चों के लिए पुस्तकों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पाठ्यपुस्तकें बोधगम्य, सरल और आकर्षक हों ।

6.12 बच्चों में पढ़ने की आदत के विकास और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता के प्रोत्साहन हेतु प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर अनुपूरक शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा। इसमें क्षेत्रीय परिवेश का भी ध्यान रखा जाएगा ।

6.13 प्रारम्भिक स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय की सुनियोजित व्यवस्था लागू की जायेगी ।

6.14 माध्यमिक स्तर पर विद्यालयें में पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा और पुस्तकालयों के साथ-साथ वाचनालयों के विकास पर भी बल दिया जायेगा ।

6.15 माध्यमिक स्तर पर पुस्तकालयों के रख-रखाव हेतु प्रति विद्यालय एक शिक्षक और कार्यालय सहायक को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

6.16 जिला स्तर पर पुस्तकालयों का विकास किया जायेगा और इनको कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा । विभिन्न विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित पुस्तकालयों को इसके माध्यम से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी जिनसे उपलब्ध संसाधनों का महत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

प्रशिक्षण

6.17 राज्य सरकार द्वारा सभी अभिकर्मियों, जनप्रतिनिधियों और स्वैच्छिक संस्थाओं/अभिकरणों के प्रबंधकों/आयोजकों की उनके कार्य निष्पादन में कुशलता और दक्षता सुनिश्चित करने तथा उनमें आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और दायित्व निर्वहन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास के लिए निर्धारित 'राज्य प्रशिक्षण नीति' के आलोक में सभी शिक्षा अभिकर्मियों, शिक्षा से जुड़े हुए जन प्रतिनिधियों तथा अन्य के लिए शिक्षा विभाग की 'प्रशिक्षण कार्यनीति' का निरूपण किया जाएगा और उसका कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा । इस व्यवस्था पर शिक्षा के वेतन बजट का एक प्रतिशत धन आबंटित किया जाएगा ।

6.18 शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों/अभिकर्मियों के लिए यथा आवश्यक प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण (इन्डक्शन ट्रेनिंग) तथा सतत सेवारत प्रशिक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी तथा इसे उनकी सेवाशर्तों में शामिल किया जाएगा ।

6.19 गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में स्थापित सभी प्रशिक्षण संस्थाओं/संस्थानों में न्यूनतम मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित

करते हुए इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के संकाय सदस्यों के क्षमता-संवर्द्धन हेतु नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।

मूल्यांकन और परीक्षा सुधार

6.20 प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू की जायेगी । सभी स्तरों पर बालक-बालिकाओं के मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, कौशलात्मक तथा भावात्मक पक्षों के विकास पर बल दिया जायेगा।

6.21 प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर मासिक और सत्रीय गृहपरीक्षाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा तथा सभी संस्थाओं में छात्रों का संचयी अभिलेख (Cumulative Records) रखा जाएगा ।

6.22 माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में मूल्यांकन की सुदृढ़ व्यवस्था लागू की जायेगी जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ सके । इसके लिए मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जायेगा तथा प्रश्नपत्रों के निर्माण में सम्बन्धित विषय के सभी क्षेत्रों को समाहित किया जायेगा और उनकी विषयवस्तु के अनुसार मूल्यांकन की ठोस व्यवस्था लागू की जायेगी ।

संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी

6.23 आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ने देश और काल की सीमाओं तथा बंधनों को पार कर लिया है। नगरीय क्षेत्रों और संपन्न वर्गो को इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है परन्तु विशेष रूप से ग्रामीण, पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्र तथा जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इस सुविधा से वंचित है । ऐसे क्षेत्रों और वर्गों में इस सुविधा के विस्तार के लिए ठोस कार्यनीति का निर्धारण तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ।

6.24 शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के सेवा पूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में किया जायेगा । इसके लिए विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएँ, जैसे बिजली अथवा बैटरी या ऊर्जा पैक उपलब्ध कराये जायेंगे ।

6.25 रेडियो और दूरदर्शन द्वारा ऐसे सुसंगत तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को तैयार करने पर

बल दिया जायेगा जिनसे लोक कलाओं तथा प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को बच्चे जानें, उनकी प्रशंसा कर सकें तथा बदलते हुए परिवेश में उनकी प्रासंगिकता समझ सकें ।

नवाचार, शोध और विकास

6.26 शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी शैक्षिक अभिकर्मियों और अभिकरणों को अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा की प्रक्रियाओं के सुधार और नवीनीकरण हेतु नये प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

6.27 अध्यापकों, शैक्षिक आयोजकों तथा महविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के शिक्षा संकायों के सदस्यों को विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न आयामों में शोध/क्रियात्मक शोध कार्य करने तथा उन्हें शैक्षिक विकास से जोड़ने हेतु ठोस योजना बनाई जायेगी ।

कार्यानुभव और समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

6.28 कार्यानुभव और समाजोपयोगी कार्य सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, उत्पादक और श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने वाले कार्यकलाप हैं । राज्य में इनके मौजूदा क्रियान्वयन की प्रक्रिया तथा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जायेगा तथा प्रारंभिक स्तर पर इन्हें सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बनाया जायेगा ।

6.29 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यानुभव तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की गतिविधियाँ विद्यार्थी की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकतओं पर आधारित हों । विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके लिए जीवनोपयोगी कार्यकलापों का समावेश किया जाएगा ।

शिक्षा और पर्यावरण

6.30 पर्यावरण की शुद्धता और संरक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए इसे विद्यालय-शिक्षा के अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया जायेगा तथा बच्चों और समाज के सभी वय वर्गों में इसके प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करने की कारगर कार्यनीति विकसित की जायेगी ।

विभिन्न विषयों के शिक्षण के प्रति नवीन दृष्टिकोण

6.31 शिक्षण का प्रयोजन केवल सूचना देना नहीं हैं वरन् यह छात्रों को सीखने के लिए

निर्देशन प्रदान करता है । पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश छात्र के समाजोपयोगी सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है । इनके द्वारा विद्यार्थियों में ऐसी मानसिक योग्यता, शक्ति और ग्रहणशीलता उत्पन्न की जाती है कि उनमें अधिकाधिक अधिगम अन्तरण हो, भविष्य की चुनौतियों का वे निडर और निर्भीक होकर पूरी दक्षता तथा आत्म विश्वास के साथ सामना कर सकें और उनकी अन्तर्निहित सृजनशीलता को महत्तम विकास का अवसर मिल सके । प्रत्येक स्तर और विषय की अभिनव प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण में शिक्षार्थी केन्द्रित नवीन दृष्टिकोण और उपागम (क्रिया-आधारित, आनन्ददायी, सुरुचिपूर्ण और जीवन से जुड़ा हुआ) को अपनाने पर बल दिया जाएगा ।

6.32 प्रत्येक स्तर की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में निदर्शन और अन्वेषण विधियों (Expository and Discovery Methods) में विवेकपूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए छात्रों की जिज्ञासा (Curiosity) और सृजनात्मकता (Creativity) को बढ़ावा दिया जाएगा ।

खेलकूद, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ

6.33 खेलकूद, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ पाठ्यक्रम तथा अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं । यह अनुभव किया जा रहा है कि सामान्य रूप से विद्यालयों में अकादमिक विषयों के औपचारिक शिक्षण-अधिगम की अपेक्षा इन पर ध्यान कम दिया जा रहा है । इन कार्यकलापों को विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में पुनः प्रतिष्ठित किया जाएगा ।

6.34 राज्य स्तरीय आधारिक संरचना के तहत विद्यालयों में उपलब्ध खेल के मैदानों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की जानकारी की जायेगी तथा विद्यालयों/संस्थाओं को न्यूनतम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे ।

6.35 खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में विद्यमान प्रशिक्षण संस्थाओं/संस्थानों - राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

6.36 इन क्रियाकलापों के आन्तरिक मूल्यांकन की एक सुविचारित योजना तैयार की जाएगी तथा हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र में इनका यथोचित उल्लेख किया जाएगा ।

6.37 अच्छे और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों अथवा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले छात्रों की प्राथमिक स्तर से ही पहचान करने, उन्हें दक्ष बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ।

भाग-7

शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन

7.1 'शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन' का मूलभूत उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना तथा दायित्व-निर्वहन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी शैक्षिक अभिकर्मियों और प्रबंधाधिकरणों की क्षमता का महत्तम उपयोग और विकास सुनिश्चित करना है । विकेन्द्रीकरण और संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना तथा सामुदायिक सहभागिता के विकास के साथ प्रशासन एवं प्रबंधन को अपेक्षाकृत पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा ।

7.2 शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन तंत्र के पुनरवलोकन और पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा विकास खण्ड स्तर, तहसील स्तर, जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर की प्रशासकीय/प्रबन्धकीय व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया जायेगा ।

7.3 राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी जो केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से तालमेल रखते हुए प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु एक शीर्षस्थ अभिकरण के रूप में कार्य करेगा ।

7.4 निजी प्रबन्धाधिकरणों और शिक्षा अधिकारियों के कार्य-निष्पादन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियमों/अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए जायेंगे ।

7.5 'माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद' की स्थापना की जाएगी । प्रस्तावित परिषद को माध्यमिक स्तर तक के संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने तथा इस निमित्त आयोजित परीक्षाओं के संचालन आदि का समस्त कार्य सौंपा जाएगा ।

7.6 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिकारियों/अभिकर्मियों के पद रिक्त न रहें । इसके लिए ऐसी कार्य योजना बनाई जायेगी जिससे रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति का प्रबन्ध समय से पूर्ण हो जाये ।

7.7 विभिन्न पदों पर निर्धारित अर्हतासंपन्न अभिकर्मियों को ही पदस्थापित किया जायेगा तथा उनकी तैनाती/पदस्थापन/स्थानान्तरण में वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा ।

7.8 विद्यालयों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा और प्रत्येक विद्यालय के सम्यक् निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु प्रभावी प्रणाली का विकास किया जायेगा । साथ ही विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण और नामिका निरीक्षण की वर्तमान पद्धति को अपेक्षाकृत अधिक गतिशील और फलदायी बनाया जाएगा ।

7.9 शिक्षा विभाग में बढ़ते वादों को कम करने और वादों की प्रभावी पैरवी हेतु ठोस और कारगर उपाय किये जायेंगे ।

7.10 शिक्षा अभिकर्मियों के कार्य-निष्पादन में सक्रियता, तत्परता और विश्वसनीयता लाने के लिए पुरस्कार और दण्ड की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी । सभी स्तरों के अभिकर्मियों के सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियों की विश्वसनीयता और शुद्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा इनको कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से जोड़कर अद्यतन किया जायेगा ।

7.11 प्रभावी प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु सभी शैक्षिक अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । इसके लिए संबंधित संस्थाओं/संस्थानों का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और उनका दायित्व निर्धारण किया जायेगा ।

7.12 प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में कार्यरत शीर्ष संस्थानों - राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) को स्वायत्तता प्रदान करते हुए इसका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इसके विभिन्न विभागों/संस्थानों तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों आदि के कार्य क्षेत्रों का पुनरवलोकन और समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें नये सन्दर्भो और दायित्वों के अनुकूल विकसित किया जाएगा ।

7.13 प्रबन्धन और नियोजन के क्षेत्र में संचालित शीर्ष संस्थान-राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की स्वायत्तता को बनाये रखते हुए इसको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा तथा इसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

7.14 प्रभावी प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु सभी शैक्षिक संगठनों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा जिससे कि वे अपने अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान (Training Need Identification) कर उपयुक्त अधिकारी को ही उसके लिए संबंधित प्रशिक्षण में भेजें । प्रशिक्षणोपरान्त संबंधित संगठनों द्वारा उक्त प्रशिक्षित अभिकर्मियों

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No.
Date :
Documentation Centre

के प्रशिक्षण के महत्तम अन्तरण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्यनीति अपनायी जाएगी।

7.15 सभी विद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं/संस्थानों का एक निश्चित अन्तराल पर स्तर निर्धारण (Accreditation) किया जायेगा तथा उक्त के आधार पर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा ।

7.16 शैक्षिक संस्थाओं/क्रियाकलापों के निष्पादन मूल्यांकन (Performance appraisal) की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

7.17 प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं/संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों, अन्तर्राज्यीय/राष्ट्र स्तरीय संस्थानों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों से समन्वयन, सहयोग और तालमेल स्थापित करने की दिशा में कारगर उपाय किए जायेंगे।

7.18 बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में विश्वसनीय और वैध सूचनाओं के संग्रह हेतु शैक्षिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली का विकास किया जायेगा ।

7.19 भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए शैक्षिक व्यवस्था को कार्यात्मक और परिणाममूलक बनाने की दिशा में ठोस उपाय किए जायेंगे ।

भाग-8

संसाधन

8.1 यह सर्वविदित है कि शिक्षा के माध्यम से समतावादी उद्देश्यों, व्यावहारिक तथा विकासोन्मुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के निमित्त इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुरूप पूँजी निवेश की सामर्थ्य होनी चाहिए । इसको ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के महत्तम उपयोग तथा अतिरिक्त साधन जुटाने के विविध प्रयास किये जायेंगे।

नियोजन

8.2 जिला योजनान्तर्गत शैक्षिक उन्नयन संबंधी क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने, उनकी विशिष्ट योजना बनाने तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कतिपय योजनाओं की उपादेयता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा से संबंधित जिला तथा राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार इनमें संशोधन तथा परिवर्द्धन किया जायेगा । इस व्यवस्था में अनुत्पादक मदों पर व्यय को सीमित/समाप्त किया जायेगा ।

8.3 विकेन्द्रित योजना के अन्तर्गत शिक्षा से सम्बन्धित जिला योजनाओं की स्वीकृतियों का अधिकार जनपदीय स्तर पर दिया जायेगा तथा इसके क्रियान्वयन की जवाबदेही निश्चित की जायेगी । विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी ।

बजट

8.4 प्रदेश के अपने संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा पर होने वाले निवेश को इस प्रकार बढ़ाया जायेगा कि वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत तक पहुँच सके । प्रदेश में पाँच वर्ष की समयावधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के ठोस उपाय किये जायेंगे ।

8.5 बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में उपलब्ध बजट की लगभग 95 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय होने के कारण शैक्षिक विकास के

कार्यों के लिए बहुत कम धन उपलब्ध हो पाता है । शिक्षा के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों के विस्तार तथा इसके गुणात्मक स्तरोन्नयन हेतु कुल बजट की कम से कम 10 प्रतिशत धनराशि आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा । इसके लिए बेसिक शिक्षा में अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायेंगे तथा माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि विद्यालय स्वपोषण (self-sustaining) की ओर बढ़ सकें ।

8.6 बजट में प्रावधानित धनराशि को समयान्तर्गत अवमुक्त करने के साथ-साथ इसके उपभोग की निर्धारित समय-सीमा को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा । अवमुक्त धनराशि की निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत महत्तम उपयोग/उपभोग करने की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी । धनराशि उपभोग किये जाने के एक माह के भीतर प्रत्येक स्तर पर उपभोग प्रमाण-पत्र भेजे जाने की अनिवार्यता होगी ।

8.7 शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या संसाधन जुटाने की है । निश्चित रूप से शिक्षा में अपर्याप्त मात्रा में पूँजी लगाने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे । अत: आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए शिक्षा में रुचि रखने वाले उद्योगपतियों और उदार व्यक्तियों को इस क्षेत्र में पूँजी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8.8 निजी प्रबन्धतंत्रों को विद्यालयों की स्थापना और उसके संचालन के निमित्त प्रोत्साहित करने हेतु विद्यालयी व्यवस्था और प्रबन्धन के यथोचित अधिकार दिये जायेंगे । इस हेतु बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा अधिनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा ।

8.9 माध्यमिक विद्यालयों के अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन के गठन की व्यवस्था को पुनरीक्षित कर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा । विद्यालय की व्यवस्था हेतु इन्हें वित्तीय संसाधन जुटाने के सुविचारित अधिकार दिये जायेंगे ।

8.10 विभिन्न कर्मचारियों, अधिकारियों, वकीलों, चिकित्सकों एवं व्यक्तिगत व्यवसाय में लगे अभिकर्मियों तथा अन्य सुविधा-सम्पन्न व्यक्तियों को स्वैच्छिक संस्थाओं में पूँजी लगाने तथा उनसे अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिससे निजी पूँजी निवेश को बढ़ावा मिल सके तथा वे सीमित वित्तीय संसाधनों के पूरक बन सकें । यह भी प्रयास किया जायेगा कि इस प्रकार दी गयी वित्तीय सहायता आयकर से मुक्त हो ।

शुल्क

8.11 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य

शिक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क मुक्त व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी, लेकिन शुल्क की अन्य मदों का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

8.12 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर शिक्षण शुल्क की व्यवस्था लागू की गयी है। अन्य मदों में भी शुल्कों का पुनर्निर्धारण किया जायेगा, जिससे विद्यालय स्व-पोषण (सेल्फ सस्टेनिंग) की ओर बढ़ सकें ।

8.13 अननुदानित और वित्तविहीन व्यवस्था के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा शिक्षण तथा अन्य मदों में शुल्क लेने हेतु सुविचारित नियमों का प्रतिपादन किया जायेगा । इस व्यवस्था के अन्तर्गत जहाँ प्रदत्त सुविधाओं के अन्तर्गत असहायताप्राप्त विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क लिए जाने की छूट रहेगी वहीं यह व्यवस्था की जायेगी कि इसका दुरुपयोग न हो ।

8.14 अशासकीय विद्यालयों में विभिन्न छात्र कोषों में जिस मद के अन्तर्गत शुल्क लिया जाय उसी मद में उसके व्यय को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय स्तर पर विभिन्न छात्र कोषों से सम्बन्धित पृथक-पृथक समितियाँ गठित की जायेंगी और इसकी समीक्षा हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर एक अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा ।

8.15 व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा तथा कम्प्यूटर शिक्षा आदि कार्यक्रमों के संतोषप्रद ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है । अत: ये सभी योजनाएँ अतिरिक्त शुल्क लेकर विद्यालयों में लागू की जायेंगी ।

निजीकरण

8.16 निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बालिका शिक्षा के विकास हेतु अशासकीय मान्यता-प्राप्त विद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मान्यता की प्रक्रियात्मक व्यवस्था को सरलीकृत किया जायेगा ।

8.17 बौद्धिक संसाधन के रूप में शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन के निमित्त प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

भाग-9

संकल्प

9.1 यह निर्विवाद है कि शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य ऐसे दक्ष और सुयोग्य नागरिकों को विकसित करना है जो समरसता, सौहार्द, सामंजस्य, समन्वयन और सहयोग को आत्मसात कर लें। वे जाति, पंथ, भाषा, लिंग, क्षेत्र आदि विभेदों से ऊपर हों । उनका विश्वबन्धुत्व में विश्वास हो परन्तु उनके लिए "भारत" सर्वोपरि हो । हम इस अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस राज्य शिक्षा नीति के माध्यम से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त करते हैं।

9.2 विभिन्न शिक्षा आयोगों/समितियों की संस्तुतियों के आधार पर तथा राष्ट्रव्यापी बहस और विचार-विमर्श के फलस्वरूप हमने शिक्षा नीतियों का समय-समय पर निर्धारण किया, तदनुसार कार्यनीतियाँ भी बनायीं, परन्तु कार्यान्वयन में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, व्यावहारिक कठिनाइयों, वित्तीय सीमाओं तथा प्रतिबद्धता के अभाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके । इस मुकाम पर अब हम संकल्प लेते है कि नीतियों के सुचारु कार्यान्वयन में हम कभी कोई और किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देंगे।

9.3 हम यह भी निश्चय करते हैं कि इस राज्य शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रतिवर्ष समीक्षा करने के साथ ही निश्चित समय के अन्तराल पर इसका मूल्यांकन भी किया जायगा।

NUEPA DC
D10724
National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-10724
Date :
Documentation Centre